

1-8-21

From no III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

..... मैना देवी बनाम गहनलाल

किस्म मुकदमा :- 53, 88, 188 R-T Act

नंबर 312 वर्ष 2017

तारीख हुनम	हुनम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुनम की तामील में जारी हुए
6-3-25	<p>बार एसो. स्थगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दोरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17-4-25 को पेश हो</p>	
17-4-25	<p>बार एसो. स्थगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दोरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18-6-25 को पेश हो</p>	
12-6-25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभ्यपक्ष के वकील उपो। प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 की तलबी एवं प्रतिवादी सं. 7 से 9, 11 से 13 के जवाब हेतु और समय-वाहा। न्याय- हित में एक और मौका दिया जाकर पत्रा- वली दिनांक 10-7-25 को पेश हो</p>	<p>अखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>
10-7-25	<p>बार एसो. स्थगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दोरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24-7-25 को पेश हो</p>	
17-7-25	<p>वादीगण द्वारा पत्रावली तलब करने एवं दावा विडो करने वाकत प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी। वादीगण स्वयं उपस्थित, जिनकी पहचान वकील वादी द्वारा की गयी। वादीगण ने पहचान- स्वकल्प आधार कार्ड सं. 3610 9347 7207 मैना व 244466133366 सम्पत्ति की स्व- प्रमाणित प्रतियां पेश की। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार उक्त प्रकरण</p>	<p>मैना सम्पत्ति I deventary by me 18/7/20</p>

12/16

5

मु.नं. 30/17 मैनादेवी/मदनलाल

में दासीनामा ही चुकाई है। उक्त दावे को आगे
चलाना नहीं चाक्री है। इसलिये दावा विद्रो
करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करावे।

दावा विद्रो संबंधी प्रार्थना-पत्र पर
वादीगण एवं वकील वादी को सुना गया। तद्-
नुसार वादीगण का वाद जारीये विद्रो ल
म्बारिज किया जाता है

पश्चात् फ़ैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगर (अजमेर)